प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला, करनाल, हिसार, गुडगांव, फरीदाबाद तथा रोहतक मंडल के आयुक्त तथा सभी जिलों के उपायुक्त।
2. सभी उप–मण्डल अधिकारी।

दिनांक, चंडीगढ 14 जनवरी, 2020

विषय **सैनिकों व उनके परिवारों के कार्यों का शीघ्र निपटान तथा उनके साथ स्नेह एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार करने बारे।**

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार रक्षा मंत्री, भारत सरकार से प्राप्त पत्र की ओर दिलाते हुए सूचित करूं कि हमारे सशस्त्र बल विषम एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी जान की परवाह किये बगैर देश की सेवा एवं सुरक्षा में रहते हैं। अपने घर–परिवारों से हज़ारों किलोमीटर दूर जोखिम भरे इलाकों और खराब मौसम में भी देश की सुरक्षा में ये दिन–रात लगे रहते हैं। इनमें सशस्त्र बलों में थलसेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त बल जैसे कि बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. और सी.आर.पी.एफ. आदि एवं इनके सेवानिवृत कर्मी और अधिकारी भी शामिल हैं।

2. ऐसे में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनकी और उनके परिजनों की अच्छी तरह देखभाल करें। सैनिकों को साल में केवल सीमित समय के लिये ही अपने घर जाकर लम्बित घरेलू कामं–काज को देखने का अवसर प्राप्त होता है। इनमें से बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो कि सरकार में विभिन्न स्तरों और विभिन्न कार्यालयों से संबंधित होते हैं।

3. अतः आप सभी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि जब भी कोई सैनिक या उसके परिवार के सदस्य किसी सरकारी कार्य हेतू सरकारी कार्यालयों में जाये तो उनके साथ स्नेह एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हुये उनके कार्यों का शीघ्र निपटान किया जाये। प्रत्येक विभाग अथवा कार्यालयों में सैनिको या इनके परिवारों के लिए अलग से सेवा काउंटर स्थापित किए जाएं। प्रत्येक कार्यालय में एक विशेष जनप्रतिनिधि नियुक्त किया जाए जो जनसाधारण को सेवा संबंधी सहायता एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करे जिससे सैनिक परिवारों के साथ–साथ अशिक्षित जनता को भी अपने कार्यो के लिए अनवश्यक न भटकना पड़े। सभी सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर इनके कार्यो को प्राथमिकता प्रदान करे तथा उनका शीघ्र निपटान करें। इससे वे अपनी घरेलू समस्याओं से निश्चित होकर न केवल अपने कार्य को भलीभाँति कर सकेंगे बल्कि और अधिक बुलंद हौसले के साथ देश की सेवा में तत्पर रहेंगे।

4. इन निर्देशों की कड़ाई से पालना करने हेतु सरकार के सख्त आदेश हैं।

अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव।